

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या-27/2025

वाद संख्या-38/2025

अशोक कुमार बनाम् रमेश कुमार।

अशोक कुमार बनाम् रमेश कुमार।

05.10.2026

इस वाद की सुनवाई दिनांक-01.10.2026 को हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री शैल दशन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली उपस्थित।

आयोग द्वारा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये Holding Tax से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, तो आयोग द्वारा पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 10312/2026, Ramesh Kumar Vs. The State of Bihar & Ors. में दिनांक-17.07.2026 को पारित आदेश के आलोक में स्वयं जिला पदाधिकारी, वैशाली को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराना था, परन्तु प्रतिवेदन जिला प्रशासन के द्वारा प्रारूप में तो उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कई कॉलम में Holding Tax की देयता अंकित नहीं की गयी है, जिसके कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। पूरक प्रतिवेदन विहित प्रारूप में सही-सही प्रविष्टियों के साथ उपलब्ध कराने का पुनः आदेश जिला पदाधिकारी, वैशाली को दिया जाता है, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की अवहेलना न हो सकें।

जिला प्रशासन द्वारा सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक से संबंधित उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति वादी एवं प्रतिवादी को आयोग कार्यालय से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

आदेश के अनुपालन हेतु आदेश की प्रति प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन को प्रेषित कर दी जाए। नोटिस का तामिला होने के बावजूद प्रतिवादी अनुपस्थित रहें। अतः उन्हें आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें वादी के आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्राधिकृत पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का तामिला प्रतिवादी को करा दी जाए।

तदनुसार सुनवाई की अगली तिथि-22.10.2026 को अपराहन 03:30 में सुनिश्चित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

05.10.2026

ज्ञापांक:-27 एवं 38/2025/3952

पटना, दिनांक:-05.10.2026

प्रतिलिपि:-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, वैशाली/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर तामिला कराते हुए, तामिला प्रतिवेदन प्रेषित की जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

